



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. 1142 / वि.प. / बैठक / 18,

बिलासपुर, दिनांक 07/08/2018

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्यापरिषद की 27 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 07/08/2018, दिन मंगलवार दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
4. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
5. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

6. डॉ. प्रकृति जेम्स — सदस्य
 सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
 पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
 छत्तीसगढ़, बिलासपुर
 (माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
7. प्रो. बी. एन. तिवारी, — सदस्य
 आचार्य,
 जैव प्रौद्यौगिकी विभाग
 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
 (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
8. प्रो तीर्थेश्वर सिंह — सदस्य
 आचार्य एवं अध्यक्ष,
 अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक
 जिला— अनूपपुर (म0प्र0)
 (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
9. डॉ. राज कुमार सचदेव — सचिव
 कुलसचिव
 पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
 छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. आयुक्त — सदस्य
 उच्च शिक्षा संचालनालय
 नया रायपुर (छ.ग.)
2. प्रो. संजय तिवारी, — सदस्य
 आचार्य, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग
 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
 रायपुर (छ.ग.)
 (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
4. श्री शंशाक शर्मा — सदस्य
 संचालक
 छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा
 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रखा जाकर निर्णय लिया
 गया—

प्रस्ताव क्र. 01 अध्यादेश क्रमांक 01 (**Admission of Students**) में कुछ प्रावधानों को जोड़कर संशोधित करने पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसमिति से निम्न संशोधन सहित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया –

1. प्रस्तावित प्रावधान E-5.2 (Certificate Course in Goods Service Tax) के कंडिका 2 (Eligibility) में “degree Examination of Commerce” के स्थान पर “B.Com./B.B.A./C.A. (Level A)/ C.S. (Level A)/ B.Com.- L.L.B. examination” प्रतिस्थापित किया गया।
2. संपर्क कक्षा : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयानुसार ” किया गया।
3. कंडिका 8 Valuation of Project/Fieldwork/Dissertation work/Practical work के स्थान पर “Valuation of practices: Practice during contact classes shall be examined by examiner(s) appointed by the University” किया गया।
4. प्रस्तावित प्रावधान E-5.3 (Certificate Course in Vedic Mathematics) की कंडिका 2 में “Examination in recognized” वाक्यांश में से “in” शब्द को विलोपित किया गया।
5. प्रस्तावित प्रावधान E-5.3 के कंडिका 8 को “Contact Class: as per provisions of the University” के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव क्र. 02 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 01 (**Admission of Students**) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसमिति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 03 विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही–विवरण पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा गणित अध्ययन मंडल की कार्यवाही–विवरण का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि संस्कृत विषय का अध्ययन मंडल अपनी कार्यवाही पूरी करने के बाद विद्या परिषद् की आगामी बैठक में कार्यवाही–विवरण को अनुमोदनार्थ रखा जाय।

प्रस्ताव क्र. 04 विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 20 प्रथम अध्यादेश में संशोधन, निरसन या परिवर्तन की प्रक्रिया (Process of Amendment, Repealment or Change in the First Ordinance) में संशोधन पर विचार।

निर्णय — विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसमिति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।

Rishabh
०७.८.१६
(राज कुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. ११४३ / का.प. / बैठक / 18,
प्रतिलिपि —

13/8/18
(बंश गोपाल सिंह)

कुलपति/अध्यक्ष
बिलासपुर, दिनांक 07/08/2018

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सम्मानीय सदस्यगण —
 - 3.1 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
 - 3.2 डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 3.3 डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 3.4 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, PSSOU
 - 3.5 डॉ. प्रीति रानी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, PSSOU
 - 3.6 प्रो. तीर्थश्वर सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक, जिला अनूपुर (म.प्र)
 - 3.7 डॉ. बी.एन. तिवारी, आचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
 - 3.8 डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रॉनिकी अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 - 3.9 श्री शशांक शर्मा, संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
 - 3.10 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-३, नया रायपुर (छ.ग.)
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीध्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।

Rishabh
कुलसचिव